लखनऊ जाएगा औद्योगिक गलियारा का क्रय प्रस्ताव

अनुज शर्मा • जागरण

506 हेक्टेयर में बनेगा मेरठ का गलियारा

292 हेक्टेयर भूमि दूसरे चरण में चिह्नित

453 करोड़ का है इस भूमि का क्रय प्रस्ताव

- कमिश्नर ने दिया है नौ बिंदुओं पर सुधार का निर्देश
- जमीन खरीद के विरोध में एक साल से धरने पर बैठे हैं किसान

मेरठ : किसानों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार की औद्योगिक गलियारा की महत्वाकांक्षी योजना मेरठ में पिछड़ रही है। मेरठ में दो चरणों में 506 हेक्टेयर जमीन में औद्योगिक गलियारा बसाने की योजना है। पहले चरण की 214 हेक्टेयर जमीन की खरीद का कार्य अंतिम चरण में है। लेकिन दूसरे चरण में चिह्नित तीन गांवों की 292 हेक्टेयर जमीन की खरीद का तीनों गांवों के किसान विरोध कर रहे हैं। चिह्नित भूमि पर स्थापित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भी किसानों ने जिला प्रशासन की टीम को नहीं करने दिया। जिसके बाद केवल जमीन का ही क्रय प्रस्ताव तैयार कराया गया। 453 करोड़ के इस क्रय प्रस्ताव में कमिश्नर ने नौ बिंदुओं पर सुधार का आदेश दिया है। तहसील सदर इस प्रस्ताव में इन बिंदुओं के मुताबिक सुधार में जुटी है।

प्रदेश में छह एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 27 स्थानों पर औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। मेरठ में पहले चरण के लिए 214 हेक्टेयर जमीन की खरीद का कार्य पूरा होने वाला है। दूसरे चरण के लिए छतरी, खड़खड़ी और गोविंदपुर की 292 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। लेकिन इन तीनों गांवों के किसान जमीन देने से इंकार कर रहे हैं। वे एक साल से अधिक समय से इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे से सटकर इस क्षेत्र में बसाया जाना है औद्योगिक गलियारा • जागरण

केवल जमीन का बनाया 453 करोड़ का क्रय प्रस्ताव : किसानों के विरोध के कारण जमीन खरीद की यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। तहसील की टीम इन खेतों में स्थापित नलकूप, भवन और पेड़ आदि संपत्तियों का मूल्यांकन करने पहुंची तो किसानों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। किसानों की इस उग्र रूप के चलते एक साल में भी जमीन और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया और न ही क्रय प्रस्ताव तैयार हो सका। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यूपीडा मुख्यालय ने तरीका निकाला। जिला प्रशासन को उन्होंने केवल भूमि का क्रय प्रस्ताव तैयार करने उपलब्ध कराने का आदेश दिया। जिसपर भूमि का 453 करोड़ का क्रय प्रस्ताव तैयार करके कमिश्नर को उपलब्ध कराया गया।

कमिश्नर ने दिया नौ बिंदुओं पर सुधार का आदेश : जमीन का क्रय प्रस्ताव कमिश्नर की संस्तुति के बाद यूपीडा के पास भेजा जाएगा। कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने एसडीएम के माध्यम से इस भूमि का निरीक्षण कराकर भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। मूल्य निर्धारण समिति की बैठक को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में करके उसका कार्यवृत्त उपलब्ध कराने के लिए कहा है। चिह्नित भूमि की 1359 फसली भूमि की स्थिति की जानकारी मांगी है। डीएम से घोषणापत्र मांगा है कि उक्त भूमि के संबंध में कोई वाद न्यायालय में लंबित है अथवा नहीं। प्रस्ताव में कितनी भूमि पट्टे की है तथा कितनी भूमि विरासत की है। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि की सक्षम अधिकारी से विक्रय हेतु अनुमति की स्थिति की जानकारी मांगी है। इस भूमि का छह साला और 12 साला के सत्यापन की रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर से इस प्रस्ताव को कमिश्नर के आदेश के मुताबिक सुधार करके उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

> औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण की भूमि का क्रय प्रस्ताव तैयार किया गया है। कमिश्नर के निर्देश के मुताबिक उसे फिर से तैयार कराया जा रहा है। जल्द इसे कमिश्नर को उपलब्ध कराकर यूपीडा मुख्यालय लखनऊ भेजा जाएगा।
>
> डा. वीके सिंह, जिलाधिकारी